



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-14.08.2025

प्रेस नोट

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 मामले में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 4000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

1.- वर्ष 2024 में अभियुक्तगण 1. ईशु कुमार उर्फ ईश्वर सिंह पुत्र संजय सिंह 2. कुनाल पुत्र नन्द किशोर निवासी गण ग्राम गौसगढ़ थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 336/24 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 14.08.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये न्यायालय उठने तक की साज व कुल 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक पर 15-15 दिवस का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है ।

2. वर्ष 2007 में अभियुक्त जयवीर पुत्र ईश्वर निवासी साल्हाहैडी थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 170/2007 धारा 135 विधुत अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 14.08.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे-04 मु0नगर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये न्यायालय ने 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । । अर्थदण्ड अदा न करने 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI